न्यायालय में माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

रामकुमार पटेल उम्र 50 वर्ष पिता स्व0 जियालाल पटेल निवासी ग्राम अनूपपुर पुरानी बस्ती तह0 व जिला अनूपपुर (म0प्र0)

..............निगरानीकर्ता

<u>विरूद्ध</u>

1. लक्ष्मी पति रोहित पटेल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम पुरानी बस्ती वार्ड नं0 10 अनूपपुर तह0 व जिला अनूपपुर (म0प्र0)
2. श्रीमती देवीरानी पत्नी रामलखन ब्रम्हण
3. अरूण कुमार पिता गजाधर
4. रामानंद पिता रामप्रसाद पटेल
5. कोयल पिता हितई राम यादव
6. दशरथ पिता हनुमान प्रसाद सोनी
   सभी निवासी तहसील कार्यलय अनूपपुर के पीछे निवासी अनूपपुर वार्ड नं0 9 तह0 व जिला अनूपपुर म0प्र0
7. म0प्र0 शासन

..................गैरनिगरानीकर्तागण

<u>राजस्व निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध तहसीलदार अनूपपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रं0 40/अ–3/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2005 के विरूद्ध</u>

महोदय,

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

1. यहकि भूमि स्थित ग्राम अनूपपुर प0ह0 अनूपपुर तह0 व जिला अनूपपुर म0प्र0 स्थित आ0ख0नं0 806/1 ख रकवा 0.090 हे0 भूमि का भूमि

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1578-दो/2016 जिला अनूपपुर राजकुमार विरूद्ध लक्ष्मी व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री अमित भार्गव उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 40/अ-3/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 30-09-2005 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 24-05-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 10.1.19
सदस्य